



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 06.12.2024

विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 10 वांछित अभियुक्त व NBW में 01 वारण्टी गिरफ्तार एवं 01 बाल अपचारी को पुलिस हिरासत में लिया गया।

दिनांक- 05/06.12.2024 को-

- 01-थाना बिजनौर में पंजीकृत मु0अ0सं0 331/24 धारा 333/115(2)/351/352/109(1) BNS से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों 01- सूबेदार 02- बबलू 03- मुकेश
- 02-थाना हजरतगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 317/24 धारा 64/123/115(2)/352/351(2) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त मनीष द्विवेदी उर्फ शुभम द्विवेदी
- 03-थाना मड़ियाँव में पंजीकृत मु0अ0सं0 619/24 धारा 305/331(2) BNS से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों 01- मो0 फैजल 02- मोहिद
- 04-थाना मदेयगंज में पंजीकृत विभिन्न 02 धोखाधड़ी एवं टप्पेबाजी के अभियोगों से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों 01- असलम 02- फरजाना बेगम उर्फ काजल शेख
- 05-थाना महानगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 284/24 धारा 303(2)/317(2) BNS से सम्बन्धित 01 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया
- 06-थाना सरोजनीनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 496/24 धारा 303(2)/317(2) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त राज
- 07-थाना सुशान्त गोल्फ सिटी में पंजीकृत मु0अ0सं0 636/24 धारा 317(2) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त प्रवीण कुमार वर्मा गिरफ्तार।

एवं

NBW में थाना अलीगंज से 01 वांछित वारण्टी गिरफ्तार।

जोन-पूर्वी

थाना- पीजीआई-

दिनांक 05.12.2024 को वादी श्री आनन्द चक्रवर्ती निवासी साउथ सिटी रायबरेली रोड थाना पीजीआई, लखनऊ ने थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दिया जिसमें दिनांक 01.12.2024 को समय करीब शाम 06.00 बजे से 09.00 बजे के मध्य वादी अपने परिवार के साथ आलमबाग मॉल में गया थे, जब रात्रि में 09.00 बजे घर आया तो देखा कि घर का दरवाजा खुला था, उसकी कुंडी ताले के साथ टूटी हुई थी, वादी के घर के अन्दर जाने पर पता चला कि वादी की दोनों अलमारी उसका लॉकर टूटा था जिसमें वादी की स्व0 माता के किमती जेवरात व नगदी चोरी हो गयी है, तथ्य अंकित है। वादी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0 804/2024 धारा 305/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन व सीसीटीवी फुटेज चेक कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

जोन- पश्चिमी/थाना माल

सड़क दुर्घटना-

दिनांक 06.12.2024 को समय करीब 03.33 बजे वादी श्री लाल मोहम्मद निवासी ग्राम पतौना थाना माल, लखनऊ ने थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दिया जिसमें आज दिनांक 05/06.12.2024 को समय करीब रात्रि 12.30 बजे वादी का बड़ा पुत्र सोनू अपनी मोटरसाईकिल नं0 UP32NE3305 से घर वापस आ रहा था तभी एक अज्ञात वाहन ने मसीठ हमीर पेट्रोल पम्प से पहले अज्ञात वाहन ने तेजी व लापरवाहीपूर्वक टक्कर मार दी। जिसमें मोटरसाईकिल पर सवार वादी का बेटा सोनू उम्र करीब 18 वर्ष व उसके साथ राजू पुत्र उदन, धर्मेन्द्र पुत्र बनवारी उम्र करीब 22 वर्ष निवासीगण उपरोक्त को गम्भीर चोटें आयी जिन्हे सीएचसी माल में डाक्टरों द्वारा तीनों व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया, तथ्य अंकित है। **वादी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना माल पर मु0अ0सं0 0372/2024 धारा 281/106 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन व सीसीटीवी फुटेज चेक कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

जोन- दक्षिणी

थाना बन्धरा-

दिनांक 06.12.2024 को आगन्तुक श्री सचिन कुमार नर्सिंग स्टाफ प्रसाद अस्पताल बन्धरा से एक लिखित डेथ मेमो लेकर थाना स्थानीय पर दाखिल किया, जिसमें मृतक विपुल कुमार उम्र करीब 21 वर्ष पुत्र मुकेश कुमार निवासी जनपद सोनीपत हरियाणा हालपता हॉस्टल प्रसाद अस्पताल बन्धरा को मृत अवस्था में इस अस्पताल में लाया गया। **इस सूचना पर तत्काल उप-निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार कनौजिया थाना बन्धरा द्वारा शव का पंचायनामा भर मोर्चरी हाउस पोस्टमार्टम हेतु भेजवाया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।** मृतक के साथियों द्वारा बताया गया कि विपुल एमबीबीएस का छात्र था, विपुल कुमार उपरोक्त व उसके मित्रों द्वारा दिनांक 05.12.2024 की रात्रि में हॉस्टल में पार्टी की गयी थी। देर रात्रि विपुल कुमार उपरोक्त बाथरूम जाने के लिए रूम से निकाल तो अचानक से गिर पड़ा, जिसे उसके साथियों ने उठाकर उसके कमरे में लिटा दिया। विपुल कुमार उपरोक्त की तबीयत बिगड़ती देखकर उनके साथियों द्वारा उन्हें इलाज हेतु प्रसाद अस्पताल बन्धरा में लाया गया। जहां चिकित्सकों द्वारा विपुल कुमार उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया गया।